**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर 151/2017

दायर दिनांक–29.08.2017

1. गोपीचंद पुत्र बालूराम
2. रोहिताश पुत्र बालूराम
3. दर्शन पुत्र बालूराम
4. नानीबाई पुत्री बालूराम
5. संतोष पुत्री बालूराम
6. सुमन पुत्री बालूराम
7. सुशीला पुत्री बालूराम
8. संगीता पुत्री बालूराम
9. शांति देवी पत्नी बालूराम समस्त जाति मेघवाल निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. शारदा देवी पत्नी ताराचंद जाति मेघवाल निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
11. विनायक पुत्र ताराचंद
12. अजय पुत्र ताराचंद
13. प्रियांशु पुत्री ताराचंद
14. किरण पुत्री ताराचंद नाबालिक जरिये संरक्षिका माता शारदा देवी जाति मेघवाल निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

**–वादीगण**

1. मदनलाल पुत्र गणपत
2. सीताराम पुत्र गणपत
3. गीगराज पुत्र गणपत समस्त जाति मेघवाल निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. संतोष पुत्री गणपत पत्नि रतनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
5. गीता पुत्री गणपत पत्नि रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ
6. चुकी पुत्री गणपत पत्नि केशर जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़
7. बिमला पुत्री गणपत पत्नि परमेश्वर जाति मेघवाल निवासी चारा का बास तहसील नवलगढ़
8. लाली पुत्री गणपत पत्नी बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं
9. छोटी पुत्री गणपत पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ
10. सम्पत पुत्री गणपत पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीदसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
11. रामचंद्र पुत्र दूदाराम जाति मेघवाल निवासी बीदसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
12. अभिषेक पुत्र रामचंद्र जाति मेघवाल निवासी बिदसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये नाबालिक संरक्षक पिता प्रतिवादी नं0 11
13. बुलिया पुत्र रामचंद्र जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीदसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये नाबालिक संरक्षक पिता प्रतिवादी नं0 11
14. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

**–प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:46 IST
Reason: SelfAttested

**वकील वादी** : – **श्री किशोर कुमार जांगिड़**
**वकील प्रतिवादी** :– **श्री सज्जन कुमार चाहर**
**श्री आनन्दीलाल सैनी**

**दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड व विभाजन।**

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

## –:: निर्णय ::–

दिनांक–12.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 2.47 है0 में 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 का है। इसी अनुसार खातेदारी की घोषणा की जावे।

प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंजदाजी व मदालखत पैदा नही करें व ना ही वादग्रस्त आराजी को रहन रखकर विक्रय करके व अन्य किसी प्रकार से संक्रमण करे खुर्द बुर्द न करे व अन्य कोई नुकसान कारित नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर ने तथा प्रतिवादी सं0 3 की ओर से वकील श्री आनन्दीलाल सैनी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से जबाब पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु गवाह दर्शन पुत्र बालूराम का चीफ का सपथ पत्र पेश किया।। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत 13 नकल जमाबंदीयां तथा प्रदर्श 14 इकरारनामा आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

## –:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 2.47 है0 में 1/2 हिस्सा का वादीगण को व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 13 को उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

( सुशील कुमार सैनी )
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:46 IST
Reason: SelfAttested

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़**

**मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)**

**दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।**

**मुकदमा सं0:– 151/2017 ( गोपीचंद बनाम मदनलाल आदि )**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 2.47 है0 में 1/2 हिस्सा का वादीगण को व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 13 को उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 06.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 12.00 | | 0.00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:46 IST
Reason: SelfAttested